लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2393

01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र हेतु आर एंड डी योजना

2393. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत लोक प्रशासन संस्थान ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के संवर्धन हेतु योजना के मूल्यांकन/आकलन का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्राप्तियां क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना की प्रभावत्यकता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त आर एंड डी परियोजनाओं के निष्पादन का किस प्रकार से मूल्यांकन करने का है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): जी हॉ। इस्पात मंत्रालय ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात मंत्रालय की योजना निधि की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की प्रोत्साहन स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य सौंपा है। मुख्य निष्कर्षो और की गई अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिये गये है:

क्र.सं०	**मुख्य सिफारिशे**	**इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई**
1	स्कीम को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।	इस्पात मंत्रालय द्वारा 12 वीं योजना के दौरान स्कीम जारी रखी गई है।
2	मंत्रालय को मुख्य क्षेत्रों में आर एण्ड डी का प्रत्यक्ष रूप से निधियन करने के अतिरिक्त प्रोत्साहन वर्धक उपाय भी करने चाहिए, ताकि आर एण्ड डी कार्य पर जोर दिया जा सके। ऐसा वार्षिक सम्मेलन/हितधारकों के सम्मेलन इत्यादि के रूप में हो सकता है।	इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय की वित्तीय सहायता से आर एण्ड डी पर जोर देने के लिए प्रोत्साहन वर्धक उपाय कर रहा है: • प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों (आईआईटी) में उत्कृष्टता केन्द्र • मैटलर्जी इंजीनियरी की शिक्षा

		प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में इस्पात मंत्रालय की चेयर प्रोफेसर स्कीम • मैटलर्जी इंजीनियरी की शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में इस्पात मंत्रालय की छात्रवृत्ति स्कीम • पूर्ण की गई आर एण्ड डी परियोजना के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कार्यशालायें
3	अनुसंधान प्रस्ताव न केवल व्यापक रूप में वेबसाइट पर विज्ञापित किये जाने चाहिए बल्कि प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में भी विज्ञापित की जानी चाहिए।	इस्पात मंत्रालय इस संबंध में पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई कर चुका है और विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये है तथा सूचनाएं वेबसाइट में अपलोड की गई है।
4	वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शर्तें एवं निबंधन यथा भौतिक एवं बौद्धिक सपंत्तियों का स्वामित्व विज्ञापन के समय ही निर्धारित किया जाना चाहिए। शर्तें एवं निबंधन तैयार करते समय डीएसटी/डीएसआईआर दिशा निर्देश देखे जाने चाहिए।	डीएसटी/डीएसआईआर दिशानिर्देश अपनाने के लिए स्कीम में आवश्यक संशोधन कर लिये गये है।
5	प्रशासनिक खर्चो जैसे कि बैठकें आयोजित करना, मानदेय/सिटिंग चार्ज इत्यादि के भुगतान के लिए स्कीम बजट का कुछ प्रतिशत निर्धारित करना	प्रशासनिक खर्चो के लिए स्कीम में आवश्यक प्रावधान शामिल किये गये है।
6	मंत्रालय परियोजना समीक्षा समितियों के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति की व्यवहार्यता की जांच करें	इस सुझाव का क्रियान्वयन हो गया है।

(ग) और (घ): स्कीम की प्रभावकारिता का इंडियन इंस्टिट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी परियोजनायें स्कीम के उद्देश्यों की अनुपालना करते हैं और उपयोगी है क्योंकि हमारी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं और स्कीम को जारी रखें जाने की आवश्यकता है।

***